यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार के माह 04/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 13.07.2018 से 18.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो तथा अशासकीय वित्त सहित विद्यालयो के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य किये जाते है।

**2. कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त हरिद्वार जनपद है।**

**(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2016-17 | - | - | 45.15 | 45.09 | - | - | - | 0.06 |
| 2017-18 | - | - | 76.89 | 76.55 | - | - | - | 0.34 |
| 2018-19 | - | - | 26.94 | 19.96 | - | - | - | 6.98 |

(ब) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

**(₹ लाख में)**

| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **प्रारम्भिक अवशेष** | **प्राप्त** | **व्यय** | **आधिक्य (+)** | **बचत(-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | शून्य | | | | | |
| 2017-18 | | | | | | |
| 2018-19 | | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. उप शिक्षा अधिकारी

**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में  कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार,  की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो "ब"

**प्रस्तर1: बिना रोक़ड़ बही के रखरखाव किये रू 22.35 लाख की धनराशि का व्यय।**

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V के अनुसार समस्त वित्तीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही मे दर्ज किया जाना चाहिए ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०) हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा माह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक की अवधि के लेन-देनों का रोक़ड़ बही मे अंकन नहीं किया गया है। जिससे BM-05 मे दर्शाई गई धनराशि रू 22.35 लाख का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं था ।

लेखापरीक्षा मे इगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे कहा कि रोक़ड़ बही को शीघ्र अद्यतन कर लिया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि है ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| - | - | - |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | |

## **भाग-IV**

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………………Nil………………………………………………………………

## <u>भाग-V</u>

## <u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1. श्री रामेन्द्र कुशवाहा | जि॰शि॰अ॰ | 01.01.2016 से 08.11.2016 |
| 2. श्री दिनेश चन्द्र डिमरी | जि॰शि॰अ॰ | 11.11.2016 से 15.03.2017 |
| 3. श्री जगमोहन सोनी | जि॰शि॰अ॰ | 15.03.2017 से 17.05.2017 |
| 4. श्री ब्रहमपाल सिंह सैनी | जि॰शि॰अ॰ | 17.05.2017 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**